बलिष्ठ और कांतिमय शरीर हो जाने पर उनसे विदा लेने के लिए तैयार हो गई। उन लोगों के उदासी भरे चेहरे को देखकर उन्हें भारतवर्ष की स्वतंत्रता का हवाला देकर वहां से निकलने की उनसे इजाजत लेती हैं। कीमती मोती देकर एक नाव में सहयात्रियों के साथ बैठाकर उन्हें विदा करते हैं। नाव इंडोनेशिया के किनारे जाकर लगी। इंडोनेशिया पहुंचकर मोती बेचकर स्वतंत्रता के लिए योजना बनाने लगी तभी उन्हें सूचना मिलती है कि अंग्रेजों ने भारत देश को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी है। जीवन के अंतिम दिनों में अपने पैतृक गाँव पहुंचकर पुनः फूल बेचना शुरू कर देती हैं। स्वतंत्र भारत देश की विडंबना देखकर निराश होती हैं- "स्वतंत्र भारत में भी रात के बारह बजे वीरान सड़क पर नारी भला कहाँ अभी भी सुरक्षित थी। जब आदमी किसी भूखे, प्यासे, बीमार या असहाय व्यक्ति को देखकर भी उसकी मदद करने से कतराता है, तो दरहसल उस पल वह प्रभु की पुकार का निरादर कर रहा होता है। मेरे प्राणप्रिय खेकड़ा के लोग भी यही कर रहे थे।"[14]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता सेनानी नीरा आर्य साहसी, स्वाभिमानी, देशभक्त एवं प्रथम जासूस नारी थी इन पंक्तियो में उनकी देशभक्ति की उत्कृष्ट इच्छा व्यक्त हुई है – "हे ईश्वर मेरे भारत देश का हरेक नागरिक आत्मनिर्भर हो जाए, मेरा देश दूध, पूत, अन्न – धन्न से सम्पन्न हो जाए, मेरे देश की कीर्ति पताका चहुंओर लहराए, मेरा देश अब सृष्टि के अन्तकाल तक स्वतंत्र रहे और पूरे विश्व की उन्नति चाहता हुआ वसुधैव कुटुम्बकम का पालन करे और हां यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे खेकड़ा ग्राम में पैदा करना। ऐसी मेरी अंतिम इच्छा है मेरे परमेश्वर!"[15] बीमारी की हालात में 1998 में चारमीनार के पास उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक गरीब एवं असहाय वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। वीरांगना नीरा आर्य जी का नाम इतिहास मैं चिरस्मरणीय रहेगा।

****

सन्दर्भ सूची

1 आर्य नीरा 'नागिन', आत्मकथा, मेरा जीवन संघर्ष, संस्करण 2022 पृष्ट 14
2 वही पृष्ट 71
3 वही पृष्ट 127
4 वही पृष्ट 133
5 वही पृष्ट 161
6 वही पृष्ट 180
7 वही पृष्ट 167
8 वही पृष्ट 174
9 वही पृष्ट 176 – 177
10 वही पृष्ट 184
11 वही पृष्ट 185
12 वही पृष्ट 187
13 वही पृष्ट 188
14 वही पृष्ट 207
15 वही पृष्ट 208

नवीन शिक्षा नीति 2020 और जनजातीय शिक्षा

विनोद कुमार वर्मा
शोध छात्र
यूजीसी नेट/जेआरएफ & भूगोल

डॉ.के.एस.नेताम
शोध निर्देशक,प्राध्यापक एवम
विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग कालेज -
शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर
महाविद्यालय सीधी (मध्य प्रदेश)

सार
नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और बहु–विषयक बनाना और 21वीं सदी की जरूरतों के साथ संरेखित करना है। यह नीति छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या–समाधान कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। एनईपी 2020 का मुख्य फोकस आदिवासी समुदायों की शिक्षा है, जो भारत की आबादी का लगभग 8-6% हैं और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शैक्षिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। नीति इन चुनौतियों से निपटने के लिए लक्षित हस्तक्षेप पेश करती है, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग शामिल है। इस अध्ययन के दो उद्देश्य हैंरू आदिवासी शिक्षा पर एनईपी 2020 के प्रभाव का विश्लेषण करना और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें प्रस्ता. वित करना। निष्कर्ष बताते हैं कि हालांकि एनईपी 2020 आदिवासी शिक्षा में सुधार के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, योग्य शिक्षकों की कमी और सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम की आवश्यकता शामिल है। अध्ययन शैक्षिक बुनियादी ढांचे में बढ़े हुए निवेश, योग्य शिक्षकों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने और शैक्षिक प्रक्रिया में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। इन मुद्दों को संबोधित करके, एनईपी 2020 शैक्षिक अंतर को पाट सकता है और आदिवासी समुदायों को सशक्त बना सकता है, सामाजिक–आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा दे सकता है। इन उपायों के सफल कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षा का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचे, जिससे समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास के व्यापक लक्ष्यों में योगदान मिलेगा।

परिचय
नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका लक्ष्य इसे और अधिक समग्र, लचीला, बहु–विषयक बनाना, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाना और प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020½। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के महत्व पर जोर देने के साथ, एनईपी 2020 रटने–सीखने–केंद्रित मॉडल से प्रस्थान का प्रतीक है जो दशकों से भारतीय शिक्षा पर हावी रहा है।एनईपी 2020 में फोकस के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक भारत में आदिवासी समुदायों की शिक्षा है। भारत की कुल आबादी में जनजातियाँ लगभग 8-6% हैं, जिनमें से लगभग 104 मिलियन लोगों की पहचान अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में की गई है। ये समुदाय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई विरासत है। ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी आबादी को भौगोलिक अलगाव, सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों और मुख्यधारा की आबादी से सांस्कृतिक मतभेदों के कारण महत्वपूर्ण शैक्षिक नुकसान का सामना करना पड़ा है।जनजातीय शिक्षा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। शिक्षा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के

लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो व्यक्तियों को समाज और अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। आदिवासी समुदायों के लिए, शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालाँकि, आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई नीतियों और कार्यक्रमों के बावजूद, पहुंच, गुणवत्ता और परिणामों के मामले में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।

एनईपी 2020 से पहले, आदिवासी समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों को लागू किया गया था। इनमें आश्रम स्कूलों की स्थापना, आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा का अधिकार अधि. नियम, 2009 के तहत विशेष ध्यान शामिल है। हालांकि, अपर्याप्त कार्यान्वयन, संसाधनों की कमी और अपर्याप्त सांस्कृतिक संवेदनशीलता के कारण ये उपाय अक्सर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। पाठ्यक्रम डिजाइन और शिक्षण विधियां (देशमुख, 2015½।

एनईपी 2020 का लक्ष्य लक्षित हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना है। इनमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 12वीं कक्षा तक अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, प्रारंभिक चरण में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) की शुरूआत शामिल है जो आदिवासी संस्कृति को शामिल करती है। और ज्ञान प्रणाली । इसके अतिरिक्त, नीति ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर देती है जो आदिवासी छात्रों की सांस्कृतिक और भाषाई आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षक एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं ।

यह नीति शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग करने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक। यह जनजातीय समुदायों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां भाषा संबंधी बाधाएं अक्सर प्रभावी सीखने में बाधा डालती हैं। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देकर, एनईपी 2020 का लक्ष्य आदिवासी छात्रों के लिए समझ और सीखने के परिणामों को बढ़ाना है, जिससे शिक्षा को अधिक सुलभ और सार्थक बनाया जा सके।

इसके अलावा, एनईपी 2020 शिक्षा प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका को रेखांकित करता है। यह शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आदिवासी नेताओं और अभिभावकों सहित स्थानीय समुदायों की भागीदारी की वकालत करता है। इस समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण से स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शैक्षिक पहल आदिवासी आबादी की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बेहतर ढंग से तैयार की गई हैं।

शोध के उद्देश्य

नई शिक्षा नीति 2020 भारत में आदिवासी समुदायों की अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं और चुनौतियों को कैसे संबोधित का मूल्यांकन

एनईपी 2020 के तहत आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीति और नीति सिफारिशें का अध्ययन

नई शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य 21वीं सदी की उभरती जरूरतों के अनुरूप प्रणाली में बदलाव लाना है। 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, यह नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह लेती है, और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण बदलाव पेश करती है। एनईपी 2020 समग्र, बहु–विषयक शिक्षा, विषयों के लचीलेपन और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर जोर देता है, जिसका अंतिम लक्ष्य महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समस्या–समाधान कौशल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020½ से सुसज्जित पूर्ण व्यक्तियों को विकसित करना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर जोर देना है। एनईपी 2020 प्रारंभिक वर्षों के महत्व को पहचानता है और एक नए पाठ्यक्रम ढांचे, मजबूत शिक्षक प्रशिक्षण और आंगनबाड़ियों और प्री–स्कूलों की स्थापना के माध्यम से ईसीसीई के सार्वभौमिकरण का प्रस्ताव करता है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के अंत तक ग्रेड–स्तरीय दक्षता प्राप्त कर ले।

यह नीति बहुभाषावाद को भी बढ़ावा देती है, कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग की वकालत करती है। इस दृष्टिकोण से छात्रों की समझ और सीखने के परिणामों में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के साथ, संस्कृत को स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एक विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें त्रि–भाषा फॉर्मूला भी शामिल है।

उच्च शिक्षा में, एनईपी 2020 लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ एक समग्र और बहु–विषयक दृष्टिकोण पेश करता है। यह चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक निकाय का प्रस्ताव करता है, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (भ्म्ब्) कहा जाता है। नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहु–विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बदलने की भी परिकल्पना की गई है, जिनमें हर जिले में या उसके निकट कम से कम एक हो। एनईपी 2020 के लक्ष्य और दृष्टिकोण व्यापक और महत्वाकांक्षी हैं। नीति का लक्ष्य 2030 तक प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% जीईआर हासिल करना है। यह समानता और समावेशन पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य ड्रॉपआउट दर को कम करना और पहुंच सुनिश्चित करना है। सभी बच्चों, विशेषकर सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस उद्देश्य से, नीति वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक लिंग समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव करती है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020½।

भारत में जनजातीय शिक्षा का ऐतिहासिक संदर्भ

स्वतंत्रता–पूर्व युग

स्वतंत्रता–पूर्व युग में, भारत में आदिवासी समुदायों की शिक्षा को बड़े पैमाने पर उपेक्षित किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की शैक्षिक नीतियां मुख्य रूप से शहरी और सुलभ ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित थीं, जिससे भौगोलिक रूप से अलग–थलग और सामाजिक–आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली आदिवासी आबादी काफी हद तक अछूती रही। जनजातीय समाज पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक मूल्यों, कौशल और प्रथाओं के प्रसारण के लिए मौखिक परंपराओं और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर निर्भर थे। औपचारिक शिक्षा न्यूनतम थी, आदिवासी क्षेत्रों में कुछ स्कूल स्थापित किए गए थे, अक्सर ईसाई मिशनरियों द्वारा जिनका उद्देश्य धार्मिक शिक्षाओं के साथ–साथ साक्षरता फैलाना था। इन मिशनरी प्रयासों ने, हालांकि पहुंच में सीमित, आदिवासी क्षेत्रों में बाद में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत के लिए आधार तैयार किया।अंग्रेजों ने आम जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियां पेश कीं, जैसे 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसने पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की वकालत की।

हालाँकि, ये नीतियाँ शायद ही कभी आदिवासी क्षेत्रों तक विस्तारित हुईं। औपनिवेशिक सरकार का ध्यान सभी के लिए समावेशी शिक्षा के बजाय एक शिक्षित वर्ग बनाने पर था जो प्रशासन में सहायता कर सके। परिणामस्वरूप, जनजातीय समुदाय बड़े पैमाने पर औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर रहे, मिशनरी संचालित स्कूलों में बहुत कम लोग जाते थे। गरीबी और बुनियादी ढांचे की कमी से चिह्नित आदिवासी आबादी की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों ने शैक्षिक अवसरों से उनके बहिष्कार को और बढ़ा दिया है।

स्वतंत्रता के बाद का विकास

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के अपने व्यापक लक्ष्यों के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों के शैक्षिक पिछड़ेपन को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचाना। 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान शामिल थे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 में विशेष रूप से राज्य को समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का आदेश दिया गया है।

आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आजादी के शुरुआती वर्षों में कई पहल शुरू की गईं। आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आश्रम विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक ऐसा ही प्रयास था। इन स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को उनकी सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से निकालकर एक अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करना था। नेक इरादे के बावजूद, आश्रम स्कूलों के कार्यान्वयन में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक असंवेदनशीलता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

1980 और 1990 के दशक में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरूआत के साथ आदिवासी शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) रणनीति विशेष रूप से शिक्षा सहित जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए धन जुटाने के लिए शुरू की गई थी। 1999 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना ने जनजातीय समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर और जोर दिया। इस अवधि में आदिवासी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और अन्य प्रोत्साहनों की शुरुआत भी हुई।

2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। आरटीई अधिनियम में बस्तियों से उचित दूरी के भीतर स्कूलों की स्थापना के प्रावधान शामिल थे, जिसका उद्देश्य आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, उच्च ड्रॉपआउट दर, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और सामाजिक–आर्थिक बाधाएँ जैसी चुनौतियाँ आदिवासी समुदायों की शैक्षिक प्रगति में बाधा बनी रहीं।

हाल के वर्षों में, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और आदिवासी युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया है। आदिवासी छात्रों को उनके अपने सांस्कृतिक परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की शुरूआत एक सकारात्मक कदम रही है। ये स्कूल न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता पर बल्कि आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।

जनजातीय शिक्षा पर एनईपी 2020 का प्रभाव

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत में आदिवासी समुदायों की शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव और प्रावधान पेश करती है। एनईपी 2020 का एक प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा को बढ़ावा देना है। नीति 12वीं कक्षा तक अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करती है कि आदिवासी समुदायों की लड़कियों को उचित शिक्षा मिले। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 कम से कम ग्रेड 5तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8और उससे आगे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा के उपयोग की वकालत करता है। यह दृष्टिकोण आदिवासी छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की शैक्षिक सेटिंग में भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देकर, नीति का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के बीच समझ और सीखने के परिणामों को बढ़ाना है ।

यह नीति समावेशी पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है जो आदिवासी समुदायों की अनूठी विरासत सहित भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्रतिबिंबित करती है। एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) में स्थानीय संदर्भ और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को शामिल किया जाएगा, जिससे आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाने की उम्मीद है।

कार्यान्वयन रणनीतियाँ

जनजातीय शिक्षा के लिए एनईपी 2020 प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक प्रमुख रणनीति में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना शामिल है। इन स्कूलों का लक्ष्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए शैक्षणिक और पाठ्येतर विकास को बढ़ावा देना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती है जो आदिवासी छात्रों की सांस्कृतिक और भाषाई आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। एनईपी 2020 में द्विभाषी और बहुभाषी शिक्षा के साथ–साथ आदिवासी बच्चों की सीखने की शैलियों के अनुरूप शैक्षणिक दृष्टिकोण पर केंद्रित विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आह्वान किया गया है ।

नीति शैक्षिक प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी पर भी जोर देती है। स्थानीय आदिवासी नेताओं और अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन समितियों और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक पहल आदिवासी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण से शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

संभावित लाभ

जनजातीय शिक्षा के लिए एनईपी 2020 के संभावित लाभ पर्याप्त हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करके और स्वदेशी ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करके, नीति का उद्देश्य सीखने के परिणामों में सुधार करना और आदिवासी छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। मातृभाषा में शिक्षा से संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो आजीवन सीखने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इसके अलावा, कम उम्र से ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देने से आदिवासी युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। इससे जनजातीय समुदायों के लिए बेहतर आर्थिक अवसर और समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास हो सकता है। शारीरिक शिक्षा, कला और जीवन कौशल सहित समग्र शिक्षा पर नीति का जोर, समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम पूर्ण व्यक्तियों का पोषण करना है ।समानता और समावेशन को बढ़ावा देकर, एनईपी 2020 आदिवासी और गैर–आदिवासी आबादी के बीच शैक्षिक अंतर को पाटने का प्रयास करता है। नीति के लक्षित हस्तक्षेपों से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने, सामाजिक गतिशीलता को ब

ढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने की उम्मीद है। लंबे समय में, ये प्रयास राष्ट्रीय विकास और सामाजिक न्याय के व्यापक लक्ष्यों में योगदान दे सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के शैक्षिक परिदृश्य में कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

शिक्षा तक पहुँचने में जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में से एक सामाजिक–आर्थिक नुकसान है। कई आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, और भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक अपर्याप्त पहुंच से जूझ रहे हैं। यह आर्थिक अभाव अक्सर बच्चों को श्रम के माध्यम से घरेलू आय में योगदान करने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनके शैक्षिक अवसर सीमित हो जाते हैं। वित्तीय स्थिरता की कमी के कारण माता–पिता के लिए स्कूल से संबंधित खर्च वहन करना मुश्किल हो जाता है, भले ही शिक्षा सैद्धांतिक रूप से मुफ्त हो। इसके अतिरिक्त, आदिवासी परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप अक्सर स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है क्योंकि बच्चों को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

बुनियादी ढाँचा और संसाधन बाधाएँ

बुनियादी ढांचे और संसाधन की कमी आदिवासी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण बाधाएँ पैदा करती है। कई आदिवासी क्षेत्र सुदूर और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे स्कूलों की स्थापना और रखरखाव करना मुश्किल हो जाता है। इन क्षेत्रों में मौजूदा स्कूल अक्सर अपर्याप्त कक्षाओं, बिजली की कमी और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं सहित खराब बुनियादी ढांचे से पीड़ित हैं। ये स्थितियाँ प्रभावी शिक्षण के लिए अनुकूल नहीं हैं और माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक सकती हैं। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और तकनीकी सहायता जैसे शैक्षिक संसाधनों की कमी, आदिवासी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में बाधा डालती है।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों की कमी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। बुनियादी सुविधाओं और सहायता प्रणालियों की कमी के कारण शिक्षकों को अक्सर दूरदराज के स्थानों में काम करना चुनौतीपूर्ण लगता है। आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास के अवसरों और प्रोत्साहनों की कमी के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कम योग्यता वाले या अप्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती से शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आदिवासी छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में बाधा आती है।

सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएँ

सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएँ आदिवासी बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। भारत में मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से बहुसंख्यक आबादी के सांस्कृतिक मानदंडों और भाषाओं के आसपास बनाई गई है, जो अक्सर आदिवासी समुदायों की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा करती है। इस सांस्कृतिक अलगाव से आदिवासी छात्रों के बीच शिक्षा में जुड़ाव और रुचि की कमी हो सकती है, जो पाठ्यक्रम को अपने जीवन के अनुभवों के लिए अप्रासंगिक पा सकते हैं।

भाषा एक बड़ी बाधा है, क्योंकि कई आदिवासी बच्चे ऐसी भाषाएँ और बोलियाँ बोलते हैं जो स्कूलों में उपयोग किए जाने वाले शिक्षा के माध्यम से भिन्न होती हैं। द्विभाषी या बहुभाषी शिक्षा मॉडल की कमी का मतलब है कि इन बच्चों को ऐसी भाषा में सीखना होगा जो उनकी मातृभाषा नहीं है, जो उनकी समझ और शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकती है (गोविंदा और बंद्योपाध्याय, 2010)शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विदेशी भाषा को थोपने से अक्सर आदिवासी छात्रों में अलगाव और हीनता की भावना पैदा होती है, जो उच्च ड्रॉपआउट दर और कम शैक्षिक उपलब्धि में योगदान करती है।इसके अलावा, शैक्षिक सामग्री और शिक्षण विधियों की सांस्कृतिक असंवेदनशीलता आदिवासी छात्रों को और भी अलग–थलग कर सकती है। पाठ्यक्रम अक्सर आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान प्रणालियों को प्रतिबिंबित करने में विफल रहता है, जिससे शिक्षा अप्रासंगिक और अनाकर्षक लगती है। पाठ्यक्रम में स्वदेशी ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को शामिल करने से इस अंतर को पाटने और आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक समावेशी और सार्थक बनाने में मदद मिल सकती है।

मामले का अध्ययन और उदाहरण

आदिवासी शिक्षा में उल्लेखनीय सफलता की कहानियों में से एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) पहल है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित इन स्कूलों का उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता को एकीकृत करते हुए दूरदराज के क्षेत्रों के आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ईएमआरएस स्कूलों ने शैक्षिक परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, जिसमें उच्च नामांकन दर, कम स्कूल छोड़ने की दर और आदिवासी छात्रों के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार शामिल है । ये स्कूल पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित समग्र शिक्षा प्रदान करते हैं, जो छात्रों को विविध कौशल से लैस करता है और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाता है।

सफलता की एक और कहानी ओडिशा में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की है, जो दुनिया में आदिवासी बच्चों के लिए सबसे बड़े आवासीय स्कूलों में से एक बन गया है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों से हजारों आदिवासी छात्रों को मुफ्त शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। संस्थान एक अद्वितीय मॉडल का अनुसरण करता है जो औपचारिक शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल के साथ जोड़ता है, जिससे व्यापक विकास सुनिश्चित होता है। आदिवासी शिक्षा में अपने योगदान के लिए कई प्रशंसाएँ मिली हैं, जिसमें आदिवासी समुदायों के बीच साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों को तैयार करना शामिल है।

महाराष्ट्र में आश्रम विद्यालयों ने भी सकारात्मक प्रगति की है। ये आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों को उनकी मूल भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे समझ और अवधारण दर में सुधार हुआ है। पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के एकीकरण ने छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बना दिया है, जिससे उच्च उपस्थिति और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है।

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र

इन सफलताओं के बावजूद, भारत में सभी आदिवासी बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा कई आदिवासी स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है। स्कूलों में अक्सर स्वच्छ पेयजल, उचित स्वच्छता सुविधाओं और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। इन आवश्यक सुविधाओं की अनुपस्थिति सीखने के माहौल को बाधित करती है और नियमित उपस्थिति को हतोत्साहित करती है।

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और योग्य शिक्षकों की कमी लगातार समस्याएँ हैं। कई शिक्षक बुनियादी सुविधाओं और पेशेवर समर्थन की कमी के कारण दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए अनिच्छुक हैं। इस स्थिति के कारण छात्र–से–शिक्षक अनुपात उच्च हो जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, शिक्षकों के पास अक्सर सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षण का अभाव होता है, जो आदिवासी छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कई आदिवासी स्कूलों का पाठ्यक्रम आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक नहीं होने वाले मुख्यधारा के पाठ्यक्रम को लागू करने से आदिवासी छात्र अलग–थलग पड़ सकते हैं और स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि हो सकती है। आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक समावेशी और सार्थक बनाने के लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, स्थानीय इतिहास और भाषाओं को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। कई आदिवासी छात्रों के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है। जबकि प्राथमिक शिक्षा में सुधार देखा गया है, माध्यमिक

और उच्च शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वित्तीय बाधाएँ, स्कूलों की लंबी दूरी और सामाजिक–सांस्कृतिक कारक इस समस्या में योगदान करते हैं। छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करने की आवश्यकता है, और इस अंतर को पाटने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में अधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है।

सरकारी पहल और कार्यक्रम

भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक आश्रम विद्यालयों की स्थापना है, जो आवासीय विद्यालय हैं जिनका उद्देश्य आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। ये स्कूल उन सामाजिक–आर्थिक बाधाओं को दूर करके सीखने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं जो अक्सर आदिवासी बच्चों को शिक्षा तक पहुँचने से रोकते हैं। हालाँकि, उनके सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, आश्रम स्कूलों को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह छात्रवृत्ति ट्यूशन फीस, रखरखाव भत्ता और अन्य शैक्षिक खर्चों को कवर करती है, जिससे आदिवासी छात्रों को माध्यमिक स्तर से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना ने आदिवासी छात्रों के बीच उच्च शिक्षा में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) एक और महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा सहित जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों और धन का उपयोग करना है। इस योजना के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए, आदिवासी आबादी के अनुपात के आधार पर राज्यों को धन आवंटित किया जाता है। टीएसपी ने स्कूलों के निर्माण, शैक्षिक सामग्री के प्रावधान और आदिवासी छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाओं के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) भी लॉन्च किया। इन स्कूलों का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता को एकीकृत करना है। ईएमआरएस ने आदिवासी छात्रों के बीच नामांकन में वृद्धि और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं।

एनईपी 2020 के तहत नई पहल

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत में आदिवासी समुदायों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई नई पहल पेश करती है। एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं में से एक 12वीं कक्षा तक अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना है, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में।ये आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजातियों सहित वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को संबोधित किया जाता है ।

एनईपी 2020 भी कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर देती है। यह दृष्टिकोण उन आदिवासी छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो मुख्यधारा की शैक्षिक सेटिंग में भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करते हैं। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देकर, एनईपी 2020 का लक्ष्य आदिवासी छात्रों के लिए समझ और सीखने के परिणामों में सुधार करना है।एनईपी 2020 के तहत एक और महत्वपूर्ण पहल उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू होने वाले स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण है। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी छात्रों को व्यावहारिक कौशल और ज्ञान से लैस करना है जो उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ा सके और उनके आर्थिक विकास में सहायता कर सके। व्यावसायिक शिक्षा को स्थानीय संदर्भों और अवसरों के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे आदिवासी समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित होगी ।

नीति में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) की स्थापना का भी प्रस्ताव है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए, इसमें डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और संसाधनों का प्रावधान शामिल है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार, दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करने और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करने की उम्मीद है ।इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 शिक्षा प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह स्कूल प्रबंधन समितियों और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों में स्थानीय आदिवासी नेताओं और अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद है कि शैक्षिक पहल सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हैं और आदिवासी समुदायों की जरूरतों के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष में, एनईपी 2020 के तहत मौजूदा कार्यक्रमों और नई पहलों का संयोजन भारत में आदिवासी समुदायों के शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है। सामाजिक–आर्थिक बाधाओं को दूर करके, समावेशी पाठ्यक्रम को बढ़ावा देकर और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, इन पहलों का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के लिए एक न्यायसंगत और सहायक शैक्षिक वातावरण बनाना है।

सिफारिशों

जनजातीय शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें अधिक स्कूल बनाना, मौजूदा सुविधाओं में सुधार करना और स्वच्छ पानी, बिजली और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उच्च वेतन, आवास और व्यावसायिक विकास के अवसरों जैसे प्रोत्साहन की पेशकश से शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आदिवासी भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास को शामिल करके पाठ्यक्रम को और अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिए, जिससे आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, छात्रवृत्ति और वजीफा जैसे वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का विस्तार, आदिवासी छात्रों को प्राथमिक स्तर से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता करेगा। अंत में, मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाएंगे और वांछित परिणाम प्राप्त होंगे।

सामुदायिक भागीदारी रणनीतियाँ

जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक पहल की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी रणनीति स्कूलों की योजना और प्रबंधन में स्थानीय आदिवासी नेताओं और अभिभावकों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। इसे स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें आदिवासी समुदाय का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व शामिल है। ये समितियाँ समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शैक्षिक कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं। एक अन्य रणनीति समुदाय के भीतर शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक बैठकों, कार्यशालाओं और अभियानों के माध्यम से किया जा सकता है जो व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास के लिए शिक्षा के लाभों पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त, समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रक्रिया में एकीकृत करना, जैसे कि स्थानीय कारीगरों और बुजुर्गों को व्यावसायिक और सांस्कृतिक

विषयों के लिए शिक्षकों के रूप में नियोजित करना, औपचारिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के बीच अंतर को पाट सकता है। सामुदायिक शिक्षण केंद्रों की स्थापना से स्कूल के बाद के कार्यक्रमों और वयस्क शिक्षा के लिए भी जगह मिल सकती है, जिससे आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। स्कूलों और समुदाय के बीच साझेदारी को मजबूत करके, ये रणनीतियाँ एक सहायक वातावरण बना सकती हैं जो आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा में नियमित उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

जनजातीय समाज के लिए शैक्षिक सांख्यिकी और सुविधाएं (2011 की जनगणना और उसके बाद)

जनजातीय समाज शैक्षिक डेटा (2011 जनगणना)

पैरामीटर	प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति के लिए साक्षरता दर	59:
समग्र साक्षरता दर (भारत)	73:

तालिका में प्रस्तुत साक्षरता डेटा से पता चलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों ;एसटीद्ध की साक्षरता दर 59प्रतिशत थीए जो कि भारत की कुल साक्षरता दर 73प्रतिशत से काफी कम है। यह असमानता सामान्य आबादी की तुलना में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली शैक्षिक चुनौतियों को उजागर करती है। एसटी के बीच कम साक्षरता दर इस अंतर को दूर करने के लिए लक्षित शैक्षिक कार्यक्रमों और नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये समुदाय देश के बाकी हिस्सों की तरह ही समान शैक्षिक अवसरों और संसाधनों तक पहुंच सकें। यह अंतर ऐतिहासिक और प्रणालीगत नुकसानों को भी इंगित करता है जिसका आदिवासी समुदाय अक्सर सामना करते हैए जिससे उनके शैक्षिक मानकों को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के लिए निरंतर और केंद्रित सरकारी और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है।

शिक्षा स्तर के अनुसार नामांकन और स्कूल छोड़ने की दर (वर्षरू 2003–04)

शिक्षा का स्तर	एससी नामांकन	एसटी नामांकन दर	सामान्य जनसंख्या
प्राथमिक (आयु 6–14)	88.30%	91.37%	98.20%
मध्य	71.86%	75.76%	62.40%
उच्च / उच्चतर माध्यमिक	60.97%	1.9 मिलियन	

नामांकन डेटा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और सामान्य आबादी के बीच विभिन्न स्कूल स्तरों पर शैक्षिक जुड़ाव के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। प्राथमिक स्तर पर, एसटी की नामांकन दर 91.37प्रतिशत है, जो एससी के 88.30प्रतिशत से अधिक है, लेकिन सामान्य आबादी की 98.20प्रतिशत की दर से कम है। मिडिल स्कूल में, एसटी नामांकन थोड़ा कम होकर 75.76प्रतिशत हो गया, फिर भी यह एससी दर 71.86प्रतिशत से ऊपर और सामान्य आबादी की मिडिल स्कूल दर 62.40प्रतिशत से काफी ऊपर है। हालांकि, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, एससी नामांकन और भी कम होकर 60.97प्रतिशत हो गया, जबकि एसटी नामांकन को अलग तरीके से मापा गया, 1.9 मिलियन छात्रों के रूप में रिपोर्ट किया गया, बिना किसी स्पष्ट प्रतिशत तुलना के, जो पहले के शिक्षा चरणों में देखी गई प्रवृत्ति की संभावित निरंतरता को दर्शाता है जहां शैक्षिक स्तर बढ़ने के साथ नामांकन दर आम तौर पर कम हो जाती है। यह डेटा छात्रों के उच्च ग्रेड में प्रगति करने के साथ स्कूल उपस्थिति में लगातार चुनौतियों और गिरावट को रेखांकित करता है, विशेष रूप से एससी और एसटी समूहों के बीच।

योजना / कार्यक्रम	विवरण
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	उच्च प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
आश्रम विद्यालय	सभी शैक्षिक स्तरों पर आवासीय विद्यालयों के लिए निधि।
एसटी छात्रावास	नए छात्रावासों और मौजूदा छात्रावासों के विस्तार के लिए सहायता।
एसटी लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने की योजना	कम साक्षरता वाले जिलों में एसटी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों के लिए अनुदान।
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (आयु वर्ग 6–14)।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	वंचित समूहों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय।

तालिका भारत में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य वंचित समूहों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की पहलों की एक श्रृंखला को रेखांकित करती है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और आश्रम स्कूल उच्च प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक तक विभिन्न स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें व्यापक समर्थन के लिए आवासीय विद्यालयों का वित्तपोषण भी शामिल है। एसटी छात्रावास और एसटी लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में एसटी लड़कियों के लिए विशेष रूप से नई छात्रावास सुविधाओं और शैक्षिक परिसरों के लिए अनुदान जैसी लक्षित सहायता प्रदान करती है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जो सुलभ शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसी तरह, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए शैक्षिक अंतराल को कम करने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालय संचालित करते हैं

सुविधा का प्रकार	विवरण
छात्रावास	अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास सुविधाओं के निर्माण और विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।
छात्रवृत्ति	इसमें कक्षा प और ग में ज छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक और प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं।
शैक्षणिक विद्यालय	देश भर में 285 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जो उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं।
विशेष शिक्षा योजनाएँ	निम्न साक्षरता वाले जिलों में ज लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की योजना जैसी विशिष्ट योजनाएँ, ज लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों के लिए गैर सरकारी संगठनों को 100: अनुदान सहायता प्रदान करती हैं।
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	ज सहित वंचित समूहों की लड़कियों के लिए कक्षा ट से ग्प तक आवासीय विद्यालय।

सूचीबद्ध सुविधाएँ भारत में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। छात्रावासों के निर्माण और विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता के माध्यम से छात्रावासों का प्रावधान, स्थिर आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है जो एसटी छात्रों के लिए शैक्षिक निरंतरता का समर्थन करता है। कक्षा प और ग में छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक और प्री–मैट्रिक विकल्पों सहित छात्रवृत्तियाँ वित्तीय बोझ को कम करने और शिक्षा की निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। देश भर में 285 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, जो एक संरचित और सहायक शिक्षण वातावरण पर जोर देते हैं। विशेष शिक्षा योजनाएँ, जैसे कि कम साक्षरता वाले जिलों में एसटी लड़कियों के लिए, गैर सरकारी संगठनों को 100प्रतिशत अनुदान के माध्यम से व्यापक सहायता प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि कमजोर समूहों को अनुरूप शैक्षिक संसाधन प्राप्त हों। सर्व शिक्षा अभियान ; ।द्ध 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है, जो समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अंत में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) वंचित समूहों की छठी से बारहवीं कक्षा तक की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करके शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को कम करना है। साथ में, ये पहल भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए समानता को बढ़ावा देने और अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली लंबे समय से चली आ रही शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करती है। इस अध्ययन ने आदिवासी शिक्षा में सुधार के लिए स्वतंत्रता के बाद की ऐतिहासिक उपेक्षा और उसके बाद के प्रयासों को रेखांकित किया है, सफलताओं और चल रही चुनौतियों दोनों को उजागर किया है। समावेशी शिक्षा, मातृभाषा के उपयोग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी एकीकरण पर नीति का जोर आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति का वादा करता है। हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण बना हुआ है। सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना, शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना, योग्य शिक्षकों की भर्ती करना और उन्हें बनाए रखना और सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त, स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और शैक्षिक प्रक्रिया में स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना सफलता के लिए आवश्यक रणनीतियाँ हैं। ये उपाय शैक्षिक अंतर को पाट सकते हैं और सीखने के परिणामों को बढ़ा सकते हैं, जिससे आदिवासी समुदाय सशक्त होंगे। एनईपी 2020 में आदिवासी शिक्षा को बदलने की क्षमता एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जिसमें मजबूत नीति कार्यान्वयन, बढ़ा हुआ निवेश और सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव शामिल है। इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत एक अधिक न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली बना सकता है जो न केवल आदिवासी छात्रों का उत्थान करती है बल्कि देश के सामाजिक–सांस्कृतिक ताने–बाने को भी समृद्ध करती है, यह सुनिश्चित करती है कि हर बच्चे को, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, आगे बढ़ने और समाज में सार्थक योगदान देने का अवसर मिले। इसलिए, एनईपी 2020 शैक्षिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के आदिवासी समुदायों के लिए एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य का वादा करता है।

संदर्भ

1.Sinha, V. K. (2023). Implementation of National Education Policy, 2020 amongst Particularly Vulnerable Tribal Groups in India: A Critical Study. Indian JL & Just., 14, 311.
2.Panditrao, M. M., & Panditrao, M. M. (2020). National Education Policy 2020: What is in it for a student, a parent, a teacher, or us, as a Higher Education Institution/University?. Adesh University Journal of Medical Sciences & Research,2(2), 70-79.
3.Meena, S. (2022). National Education Policy 2020: National Perspective to Education of Tribes. Issue 6 Int'l JL Mgmt. & Human., 5, 807.
4.Meena, S. (2022). National Education Policy 2020: National Perspective to Education of Tribes. Issue 6 Int'l JL Mgmt. & Human., 5, 807.
5.Jadhav, S. S., & Narayan, P. S. (2023). Critical Review of National Education Policy 2020 Concerning Nomadic Tribes and De-notified Tribes. Journal of Social Inclusion Studies, 9(2),249-258.
6.Mahata, A. A Study on the Educational Challenges of the Tribal Community and NEP 2020.
7.Saha, A., & Roy, M. (2020). Government Policies and Financial Assistance for Development of Tribal Education in Tripura. MIJ.
8.Kumar, K., Prakash, A., & Singh, K. (2021). How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generation in India. Journal of Public affairs, 21(3), e2500.
9.Dalal, H. (2022). TRIBAL EDUCATIONAL POLICY IN INDIA: A STUDY ON WEST BENGAL (POST-COLONIAL PERSPECTIVE). Journal of the Oriental Institute, 71, 43-56.
10.Baidya, A. K., & Barik, P. K. (2023). ISSUES AND CHALLENGES OF TRIBAL EDUCATION IN NORTH-EAST INDIA. International Journal of Scientific Research in Modern Science and Technology, 2(9), 75-80.
11.Kaurav, R. P. S., Narula, S., Baber, R., & Tiwari, P. (2021). Theoretical extension of the new education policy 2020 using twitter mining. Journal of Content, Community & Communication, 13(1), 16-26.
12.Aithal, P. S., & Aithal, S. (2019). Analysis of higher education in Indian National education policy proposal 2019 and its implementation challenges. International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML), 3(2), 1-35.
13.Pal, S., & Sarkar, P. (2022). QUALITY EDUCATION & TRIBES: NEW APPROACH TO ATTAIN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(7), 416-422.
14.Chakraborty, S., & Jana, T. A STUDY ON INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEM AND TRIBAL EDUCATION IN WEST BENGAL IN THE LIGHT OF NEP-2020. DEVELOPMENT OF SCHEDULED TRIBES IN INDIA AND ITS RELATIONSHIP WITH INDIGENOUS KNOWLEDGE AND ETHNO-MEDICINAL PRACTICES, 93.
15.Kumar, K., Prakash, A., & Singh, K. (2021). How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generation in India. Journal of Public affairs, 21(3), e2500.
16.Sarna, K. K., Puri, S., & Kochar, K. S. (2021). National Education Policy-2020: A Critical Review. HANS SHODH SUDHA, 1 (3), 8, 13.
17.Kumar, A. (2021). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. University of South Florida (USF) M3 Publishing, 3(2021), 36.
18.Panditrao, M. M., & Panditrao, M. M. (2020). National Education Policy 2020: What is in it for a student, a parent, a teacher, or us, as a Higher Education Institution/University?. Adesh University Journal of Medical Sciences & Research, 2 (2), 70-79.
19.Ministry of Tribal Affairs. (2020, September 22). Government is implementing a number of schemes/programmes to increase literacy rates and education level of STs. Press Information Bureau, Delhi.
20.Rai, N. (2021). Tribal education- challenges and prospects. Adhigam, 21. ISSN 2394-773X.